

भारत में बाल अपराध: एक संक्षिप्त विश्लेषण

अनीता गरवाल*

सारांश

जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून-विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे 'बाल अपराध' कहते हैं। भारत में 'बाल न्याय अधिनियम', 1986 (संशोधित 2000) के अनुसार 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। बाल अपराध की अधिकतम आयु सीमा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। इस आधार पर किसी भी राज्य द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत बालक द्वारा किया गया कानून विरोधी कार्य बाल अपराध है। केवल आयु ही बाल अपराध को निर्धारित नहीं करती वरन् इसमें अपराध की गंभीरता भी महत्वपूर्ण पक्ष है। 7 से 16 वर्ष का लड़का तथा 7 से 18 वर्ष की लड़की द्वारा कोई भी ऐसा अपराध न किया गया हो जिसके लिए राज्य मृत्यु-दण्ड अथवा आजीवन कारावास देता है जैसे हत्या, देशद्रोह, घातक आक्रमण आदि तो वह बाल अपराधी माना जायेगा। मानव समाज में बाल अपराध एक बहुत बड़ी समस्या बन गयी है। बच्चे भविष्य की धरोहर हैं, लेकिन सामाजिक कमजोरियों और सरकार के दलमल रवैये के चलते हमारी यह धरोहर लगातार पतन के रास्ते आगे बढ़ती जा रही है बाल अपराधों की बढ़ती संख्या हमारे समाज के माथे एक ऐसा कलंक है जिससे तत्काल निजात पाने की जरूरत है।

उद्देश्य—

1. भारत में बाल अपराध के स्वरूपों का विश्लेषण करना।
2. भारत में बाल अपराध के प्रमुख कारणों का अध्ययन करना।

शोध क्रियाविधि :

प्रस्तुत शोध पत्र विषय से सम्बन्धित तथ्यों के संकलन एवं विश्लेषण पर आधारित हैं, तथा इससे सम्बन्धित तथ्यों का संकलन द्वितीय स्रोतों के रूप में विभिन्न पुस्तकों, समाचार पत्रों, वार्षिक रिपोर्टों, पत्र-पत्रिकाओं व लेखों का प्रयोग किया गया है। साथ ही शोध पत्र में मुख्यतः ऐतिहासिक, वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।

प्रस्तावना :

बच्चे ही किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं और आने वाले समय में देश की बागडोर उनके ही हाथों में होती है। लेकिन बाल अपराध के उक्त आंकड़े भारत की नई पीढ़ी में बढ़ती निराशा और हिंसक प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? इसका कारण है सामाजिक नैतिकता का अवमूल्यन, परिवार नामक संस्था का कमजोर पड़ना, बढ़ती व्यवसायिकता और कमजोर कानून। एक ओर जहाँ हमारा देश सामाजिक विकास के मानकों पर लगातार आगे बढ़ रहा है, वहीं समाज की नैतिकता के स्तर में लगातार घटस हो रहा है। हम दो-हमारे दो के इस दौर में माता-पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं होता, उनका सारा ध्यान ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने में लगे रहता है। पैसे की इस धमाचौकड़ी के चलते उपजा अकेलापन बच्चों को निराशा की ओर ले जाता है। हालांकि समय की इस कमी की भरपाई के लिए माता-पिता बच्चों की हर छोटी-बड़ी इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बचपन का अबोध मन अक्सर अपने रास्ते से भटक जाता है, सही-गलत के ज्ञान के अभाव में बच्चे ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं जो उन्हें अपराध की दुनिया में ले जाता है। बाल-अपराधों की बढ़ती संख्या भविष्य के लिए खतरे का संकेत हैं। भारतीय कानून के अनुसार, सोलह वर्ष की आयु तक के बच्चे अगर कोई ऐसा कृत्य करें जो समाज या कानून की नजर में अपराध है तो ऐसे अपराधियों को बाल अपराधी की श्रेणी में रखा जाता है। 'किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम', 2000 के अनुसार अगर कोई बच्चा कानून के खिलाफ चला जाता है तो आम आरोपियों की तरह न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने अथवा अपराधियों की तरह

*शोध छात्रा (राजनीति विभाग) एम0बी0जी0पी0जी0कालेज हल्द्वानी

Email- anitagarwal34@gmail.com

जेल या फांसी नहीं बल्कि बाल गृहों में सुधार के लिए भेजा जायेगा। हमारा कानून भी यह स्वीकार करता है कि किशोरों द्वारा किए गए अनुचित व्यवहार के लिये किशोर बालक स्वयं नहीं बल्कि उसकी परिस्थितियाँ उत्तरदायी होती हैं, इसी वजह से भारत समेत अनेक देशों में किशोर अपराधियों को दंड नहीं, बल्कि उनकी केस हिस्ट्री को जानने और उनके वातावरण का अध्ययन करने के बाद उन्हें सुधार-गृह में रखा जाता है, जहाँ उनकी दूषित हो चुकी मानसिकता को सुधारने का प्रयत्न किए जाने के साथ उनके साथ उनके भीतर उपज रही नकारात्मक भावनाओं को भी समाप्त करने की कोशिश की जाती है।

भारत में बाल अपराध

भारत में नाबालिकों में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। बाल मन पर अपराध ने कब्जा जमा लिया है। दिल्ली में 35 फीसदी की दर से बाल अपराध में वृद्धि हुई है। नाबालिग दुष्कर्म, यौन शोषण, हत्या, छेड़छाड़, डकैती और चोरी में बालिग अपराधियों से पीछे नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आकड़ों के मुताबिक 2016 में दिल्ली, मुंबई सहित देश के 19 प्रमुख महानगरों में बाल अपराध के कुल 6,645 मामले सामने आए। इनमें केवल दिल्ली में 2,368 दर्ज हुए। दिल्ली में 51 नाबालिगों पर हत्या और 81 पर हत्या के प्रयास के आरोप लगे हैं। जबकि 143 नाबालिगों पर दुष्कर्म और 35 नाबालिगों के खिलाफ अप्राकृतिक यौनाचार के मामले दर्ज हुए। सामूहिक दुष्कर्म के दो मामले में बाल अपराधियों की संलिप्तता सामने आई। इसके अलावा छेड़छाड़ के 138 और यौन शोषण के 66 मामले भी नाबालिगों पर दर्ज किए गए हैं। डकैती की 370 और चोरी की 766 वारदात को नाबालिगों ने अंजाम दिया। मनोवैज्ञानिक इसे एक खतरे के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है भौतिकवादी चमक-दमक और मीडिया का दुष्प्रभाव बचपन पर हावी हो रहा है। जिस उम्र में बच्चों के हाथ में किताब और खिलौने होने चाहिए उस अवस्था में किशोर हथियार उठाने के साथ ही दूसरे की अस्मत् से खेल रहे हैं। भारत में बालको के खिलाफ 2003 में जहाँ 33,320 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2014 में बढ़ कर 42,566 हो गए। इनमें सोलह से अठारह साल आयु के 31,364, बारह से सोलह साल की आयु के 10,534 और बारह साल से कम आयु के 668 बच्चे गिरफ्तार हुए थे। बारह साल वाले बच्चों में से एक दर्जन को हत्या जैसे जघन्य अपराध के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। गंभीर और शर्मनाक तथ्य यह है कि पिछले दस सालों में किशोरों द्वारा बलात्कार के मामलों में तीन सौ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 2003 में किशोरों द्वारा बलात्कार के 535 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2014 में बढ़ कर 2,144 हो गए। किशोरों द्वारा अपराध के मामलों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली सरकार जघन्य अपराधों में सजा की न्यूनतम उम्र सीमा पंद्रह साल करने की मांग कर रही है, जबकि लोकसभा में किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2014 पारित किया गया है, जिसमें सजा देने की उम्र सीमा अठारह से घटा कर सोलह साल कर दी गई है। भले यह विधेयक अभी कानून नहीं बन सका है, लेकिन नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले अपराधों में जिस तेजी से वृद्धि हो रही है। उससे इस विधेयक को कानून बनाने की मांग तेज हो रही है। एनसीआरबी के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए बलात्कारों की संख्या 2012 के मुकाबले 2014 में लगभग दोगुना हो गई। 2014 में दर्ज बलात्कार के 2,144 मामलों में से 1488 में बलात्कारियों की उम्र सोलह से अठारह साल के बीच थी, जबकि 2012 में 1316 किशोरों को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि भारत में अठारह साल से कम उम्र का अपराधी नाबालिग माना जाता है और उनके खिलाफ आरोप की सुनवाई केवल 'जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड' में होती है। सजा के नाम पर उन्हें अधिकतम तीन साल बाल सुधार गृह में गुजारने की सजा सुनाई जाती है, जबकि बदलते परिवेश में किशोरों द्वारा लगातार गंभीर अपराध किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि सिर्फ भारत में किशोरों को जघन्य अपराध करने के बावजूद गंभीर सजा नहीं मिल पाती है।

बाल अपराध के प्रकार

बाल अपराध व्यवहार की शैली और समय में विविधता प्रदर्शित करता है। प्रत्येक प्रकार का अपना सामाजिक सन्दर्भ होता है, कारण होते हैं तथा विरोध और उपचार के अलग स्वरूप होते हैं जो कि उपयुक्त समझे जाते हैं। बाल अपराध के निम्न प्रकार हैं—

- 1 वैयक्तिक बाल अपराध
- 2 समूह समर्थित बाल अपराध
- 3 संगठित बाल अपराध
- 4 स्थितिजन्य बाल अपराध

1 वैयक्तिक बाल अपराध

यह वह बाल अपराध है जिसमें एक व्यक्ति ही अपराधिक कार्य करने में संलग्न होता है। और इसका कारण भी अपराधी व्यक्ति में ही खोजा जाता है। इस अपराधी व्यवहार की अधिकतर व्याख्याएँ मनोचिकित्सक समझाते हैं। उनका तर्क है कि बाल अपराध दोषपूर्ण पारिवारिक अन्तक्रिया प्रतिमानों से उपजी मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण किये जाते हैं। हीले और ब्रोनर (1936) ने अपराधी युवकों की तुलना उन्हीं के अपराधी सहोदारों से और उनके बीच अन्तरों का विश्लेषण किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि 13.0 प्रतिशत अनपराधी सहोदारों की तुलना में 90.0 प्रतिशत अपराधी किशोरों का घरेलू जीवन दुःख भरा था और वे अपने जीवन की परिस्थितियों से असन्तुष्ट थे, उनकी अप्रसन्नता की प्रकृति भिन्न थी। कुछ तो माँ-बाप द्वारा उपेक्षित मानते थे तथा अन्य या तो हीनता का अनुभव करते थे या अपने सहोदारों से ईर्ष्या करते थे या फिर मानसिक तनाव से पीड़ित थे, इन समस्याओं के समाधान के लिए वे अपराध में लिप्त हो गये थे, क्योंकि इससे (अपराध) या तो उनके माता-पिता का ध्यान उनकी ओर आकर्षित होता था या उनके साथियों का समर्थन उन्हें मिलता था या उनकी अपराध भावना को कम करता था। बन्दूरा और वाल्टर्म ने श्वेत बाल अपराधियों के कृत्यों की तुलना अनपराधी लड़कों से ही जिनमें आर्थिक कठिनाईयों के स्पष्ट संकेत नहीं थे, उन्हें पता चला कि अपराधी अनपराधियों से उनकी माताओं के साथ सम्बन्धों की दृष्टि से थोड़ा सा भिन्न ही है, लेकिन उनके पिताओं के साथ अपने सम्बन्धों में कुछ अधिक भिन्न थे, इस प्रकार अपराध में पिता पुत्र सम्बन्ध, माता पुत्र सम्बन्ध की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण दिखाई दिए क्योंकि अपने पिता में आदर्श भूमिका की अनुपस्थिति के कारण अपराधी लड़के नैतिक मूल्यों का अंतरीकरण नहीं कर सके, इसके साथ ही उनका अनुशासन अधिक कठोर था।

2 समूह समर्थित बाल अपराध

इस प्रकार के अपराध में बाल अपराध अन्य बालकों के साथ में घटित होता है और इसका कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व या परिवार में नहीं मिलता, बल्कि उस व्यक्ति के परिवार व पड़ोस की संस्कृति में होता है। श्वेशर शॉ और मैके के अध्ययन भी इसी प्रकार के बाल अपराध की बात करते हैं, मुख्य रूप से यह पाया गया कि युवक अपराधी इसलिए बना क्योंकि वह पहले से ही अपराधी व्यक्तियों की संगति में रहता था, बाद में सदरलैंड ने इस तथ्य को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किये। जिसने विभिन्न संपर्क के सिद्धान्त का विकास किया।

3 संगठित बाल अपराध

इसमें वे अपराध सम्मिलित हैं जो औपचारिक रूप से संगठित गिरोहों द्वारा किये जाते हैं, इस प्रकार के अपराधों का विश्लेषण सन् 1950 के दशक में अमरीका में किया गया था तथा अपराधी उपसंस्कृति की अवधारणा का विकास किया गया था। यह अवधारणा उन मूल्यों और मानदण्डों की ओर संकेत करती है जो समूह के सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित करते हैं, अपराध करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, इस प्रकार के कृत्यों पर उन्हें प्रस्थिति प्रदान करते हैं और उन व्यक्तियों के साथ उनके संबंधों को स्पष्ट करते हैं जो समूह मानदण्डों से बाहर के समूह होते हैं।

4 स्थितिजन्य अपराध

स्थितिजन्य अपराध की मान्यता यह है कि अपराध गहरी जड़े नहीं रखता और अपराध के प्रकार और इसके नियंत्रित करने के साधन अपेक्षाकृत बहुत सरल होते हैं, एक युवक की अपराध के प्रति गहरी निष्ठा के बिना अपराधी कृत्य में संलग्न हो जाता है, यह या तो कम विकसित, अन्तः नियंत्रण के कारण होता है या परिवार नियंत्रण में कमजोरी के कारण या इस विचार के कारण कि यदि वह पकड़ा भी जाता है तो भी उसकी अधिक हानि नहीं होगी। डेविड माटजा ने इसी प्रकार के अपराध का सदंर्भ दिया है।

बाल अपराधियों का वर्गीकरण

विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर बाल-अपराधियों का वर्गीकरण किया है—

- 1 देर रात तक बाहर रहना।
- 2 स्कूल से भागना।

- 3 चोरी करना।
- 4 लड़ाई, झगड़ा करना।
- 5 जुआ खेलना, शराब पीना।
- 6 अपराधी गुट या समूह में शामिल होना।
- 7 सम्पत्ति की क्षति।
- 8 हिंसा।
- 9 यौन-अपराध।
- 10 दुकान से कोई सामान उठाना।
- 11 किसी के प्रति भद्रि और अभद्र भाषा का प्रयोग करना।

अगर कोई भी बच्चा जो उपरोक्त गलत कृत्य करता है तो उसे अपराधी माना जाएगा, जिसके लिए उसे वयस्क अपराधियों से अलग रख सुधरने का एक मौका दिया जाता है।

भारत में बाल अपराध के प्रमुख कारण

बाल अपराध के प्रमुख तीन कारण हैं –

- 1 सामाजिक कारण
- 2 आर्थिक कारण
- 3 मनोवैज्ञानिक कारण

बाल अपराध के सामाजिक कारण –

1. पारिवारिक कारण –

टूटे परिवार

पति-पत्नि के बीच मतभेद, तलाक, मृत्यु आदि के कारण परिवार का संगठन बिगड़ जाता है ऐसे परिवार को भग्न परिवार कहते हैं। इस प्रकार के परिवार के बालक नाना प्रकार के अपराध करने लगते हैं।

सौतेले माता-पिता का व्यवहार

कुछ माता-पिता समय से पहले ही मर जाते हैं जिनके बच्चों का पालन-पोषण उपमाता या उपपिता करते हैं परंतु उनका व्यवहार बच्चों के प्रति सख्त एवं रूखा होता है जिससे बच्चों में नाना प्रकार की भावना-ग्रंथियाँ निर्मित हो जाती है जो उन्हें अपराध करने के लिए प्रेरित करती हैं।

अनैतिक परिवार

जिस परिवार में माता-पिता अथवा परिवार के अन्य सदस्य अनैतिक कार्य करते हैं, ऐसे परिवार के बच्चों का झुकाव अपराध की ओर बढ़ जाता है।

अशिक्षित माता-पिता

अशिक्षित माता-पिता बालक का सुचारू रूप से निर्देशन नहीं कर पाते परिणामस्वरूप उनके बच्चे अवांछित व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं।

2. परिवार के बाहरी कारण –

बुरे समयस्क बालकों का साथ

बालक के मित्र अच्छे हैं तो बालक अच्छी आदतें सीखता है और बुरे हैं तो बुरी जैसे मित्रों के साथ मिलकर गाली-गलौज करना, चोरी करना, धूम्रपान करना, जुआ खेलना, यौन अपराध करने लगना।

बुरा पड़ोस

यदि बालक के पड़ोस में जुआरी, शराबी, गुण्डे तथा चोर रहते हैं तो बालक के इन लोगों से दुर्गुणों को सीखने की सम्भावना बढ़ जाती है।

2. बाल अपराध के आर्थिक कारण—

गरीबी

गरीब बच्चों के पास जीवन की पर्याप्त सुविधायें व आराम नहीं होते। उन्हें चोरी और लूटपाट सबसे सरल माध्यम लगता है अतः छोटे बच्चे चोरी और डकैती करने लगते हैं। कभी-कभी गरीबी के कारण स्वयं माता-पिता ही अपने बच्चों को चोरी करने के लिए उकसाते हैं।

बेकारी

निर्धनता के साधन बेकारी भी बाल-अपराध का ऐसा आर्थिक कारण है जो स्वयं तो बाल अपराध को जन्म देती है साथ ही कई ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करती हैं जिनके वशीभूत होकर बालकों में अपराध मनोवृत्तियाँ जन्म लेती हैं।

छोटे बालकों का नौकरी करना

उदरपूर्ति के लिए छोटे बालकों को फैक्ट्रियों, होटलों, चलचित्र इत्यादि में नौकरी करना पड़ता है फलस्वरूप ये शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, साथ ही साथ बीड़ी पीना, जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति, शराबखोरी इत्यादि बुरी आदतें पड़ जाती हैं।

बाल अपराध के मनोज्ञानिक कारण

मानसिक या बौद्धिक कारण –

निम्न बुद्धि स्तर

सर्वेक्षण में 66 प्रतिशत बाल अपराधियों को दुर्बल बुद्धिवाला पाया गया। दुर्बल बुद्धि वाले बच्चे अच्छा बुरा नहीं सोच पाते तथा अवसर मिलते ही अपराधी व्यवहार करने को तत्पर हो जाते हैं।

विशेष मानसिक योग्यता तथा अभिरुचियों की कमी

मानसिक योग्यता तथा अभिरुचियों का यथायोग्य विकास नहीं होने से बालक किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण तथा व्यवसाय के क्षेत्र में समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है। अंत में यही असमायोजन की स्थिति में उसमें अपराध संबंधी मनोवृत्ति उत्पन्न होती है।

संवेगात्मक कारण –

मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति का अभाव

प्रत्येक बालक की कुछ जन्मजात तथा अर्जित मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं जैसे आत्मनिर्भर, प्रेम, सुरक्षा, काम इत्यादि की तृप्ति न होने पर वे कुण्ठित हो जाती हैं और बालक में हीनता, क्रोध, आक्रामकता, विद्रोह इत्यादि की भावनायें जन्म लेती हैं।

किशोरावस्था

इस अवस्था में संवेगात्मक तनाव तथा मानसिक संघर्ष की अधिकता रहती है और यही स्थिति अनेक समाज-विरोधी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।

बाल अपराध की रोकथाम एवं इसमें सहयोगी सुधारवादी संस्थाएँ

बाल अपराधियों को रोकने के लिए सुधारात्मक संस्थाओं एवं सुधारालयों की स्थापना की गयी है जिनमें कुछ समय तक बाल अपराधियों को रखकर प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे—

रिमाण्ड होम —

जब बाल अपराधी पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है तो उसे—सुधारात्मक गृहों में रख जाता है। जब तक उस पर अदालती कार्यवाही चलती है, अपराधी इन्हीं सुधारालयों में रहता है। यहाँ पर परिवीक्षा अधिकारी बच्चों की शारीरिक व मानसिक स्थितियों का अध्ययन करता है, उन्हें मनोरंजन, शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि दिया जाता है। ऐसे गृहों में बच्चों से सही सूचनाएँ प्राप्त की जाती हैं जो वे न्यायाधीश के सम्मुख देने से घबराते हैं। भारत में दिल्ली एवं अन्य 11 राज्यों में रिमाण्ड होम हैं। अब इनका स्थान सम्प्रेक्षण गृहों ने ले लिया है।

प्रमाणित या सुधारत्मक विद्यालय —

प्रमाणित विद्यालय में बाल अपराधियों को सुधार हेतु रखा जाता है। इन विद्यालयों को सरकार से अनुदान प्राप्त ऐच्छिक संस्थाओं चलाती है। इन स्कूलों में बाल अपराधियों को कम से कम तीन वर्ष और अधिकतम सात वर्ष की अवधि के लिये रखा जाता है। इन स्कूलों में सिलाई, खिलौने बनाने, चमड़े की वस्तुएँ बनाने और प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम दो वर्ष के लिए होता है। बच्चों को स्कूल से ही कच्चा माल प्राप्त होता है और उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं को बाजार में बेच दिया जाता है और लाभ उसके खाते में जमा कर दिया जाता है। जमा की गई धनराशि एक निश्चित मात्रा तक पहुँचने के बाद स्कूल के बच्चों के केवल राज्य के उपयोग के लिए ही वस्तुओं का उत्पादन करना होता है। बच्चों के 5वें दर्जे तक की बुनियादी शिक्षा भी दी जाती है वर्ष के अन्त में उसको विद्यालय निरीक्षक द्वारा संचालित परीक्षा में भी भाग लेना होता है।

यदि कोई बालक पाँचवी कक्षा के बाद भी पढ़ना चाहता है तो उसे बाहर के किसी विद्यालय में प्रवेश दिला दिया जाता है।

बोस्टल संस्था एवं विशेष गृह —

यहाँ उन्हीं बालकों को रखा जाता है जिसकी आयु 15 से 21 वर्ष तक की होती है। उन्हें यहाँ प्रशिक्षण एवं निर्देशन दिये जाते हैं तथा अनुशासन में रखकर उसका सुधार किया जाता है। अवधि समाप्त होने, अच्छे आचरण का आश्वासन देने एवं भविष्य में अपराध न करने का वचन देने पर अपराधी को इस विद्यालय से मुक्त किया जाता है। ये स्कूल अपराधी का समाज से पुनः सामंजस्य कराने में योग देते हैं।

परिवीक्षा होस्टल —

यह बाल अपराधियों के परिवीक्षा अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित उन बाल अपराधियों के आवासीय व्यवस्था एवं उपचार के लिए होते हैं जिन्हें परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में परिवीक्षा पर रिहा किया जाता है। परिवीक्षा होस्टल निवासियों को बाजार जाने की तथा अपनी इच्छा का काम चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। विभिन्न देशों की भाँति भारत में भी बाल अपराधियों को सुधारने के लिये प्रयास किये गये हैं और बाल अपराध की पुनरावृत्ति में कमी आयी है फिर भी इन उपायों में अभी कुछ कमियाँ हैं जिन्हें दूर करना आवश्यक है। बालक अपराध की ओर प्रवेश नहीं हो, इसके लिए आवश्यक है कि बालकों को स्वस्थ मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराये जाएँ, अश्लील साहित्य एवं दोषपूर्ण चलचित्रों पर रोक लगायी जाए, बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने में माता—पिता की मदद करने हेतु बाल सलाकार केन्द्र गठित किये जायें तथा सम्बन्धित कार्मिकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए, संक्षेप में बाल अपराध की रोकथाम के लिए सरकारी एजेन्सियों (जैसे समाज कल्याण विभाग) शैक्षिक संस्थाओं, पुलिस, न्यायपालिका, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा स्वैच्छिक संगठनों के बीच तालमेल की आवश्यकता है।

सुझाव—

हमें बच्चों को उचित संस्कार देने व उनमें मानवीय मूल्यों की स्थापना करने के लिए सजग, सचेष्ट और सक्रिय होना होगा, तभी इस बिगड़ते बचपन और भटकते राष्ट्र के नव पीढ़ी के कर्णधारों का भाग्य और भविष्य उज्ज्वल हो सकता है इसके लिये हमें निम्न उपाय करने होंगे—

- 1 परिवार में बच्चों का उचित ढंग से पालन-पोषण, एक समान प्रेम एवं व्यवहार।
- 2 उचित शिक्षा की व्यवस्था।
- 3 स्वस्थ मनोरंजन के साधनों में वृद्धि।
- 4 सुधारात्मक गृहों की समुचित व्यवस्था।

निष्कर्ष —

बाल अपराधियों को सुधारने में आज भारत भी प्रगतिशील देशों से पीछे नहीं है। पर भारतीय समाज में कुछ अन्य समस्याएँ जैसे अतिजनसंख्या, बेरोजगारी, भुखमरी आदि इतनी अधिक गम्भीर हैं कि उससे ही निपटना सरकार के लिए अत्यन्त कठिन हो रहा है। यद्यपि ये सच है कि 16 से 18 साल की आयु समूह वाले बच्चों की संख्या जघन्य अपराधों में बढ़ रही है इसलिए संसद में संशोधन की बहस के समय इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिये कि हम समाज के रूप में एक न्याय पर आधारित व्यवस्था चाहते हैं या प्रतिकार और सजा या एक ऐसी व्यवस्था जो किशोर अपराधियों के सुधार और समावेश के योग्य हो। राज्य के साथ ही समाज अपने बच्चों के लिये कुछ जिम्मेदारियाँ रखता है कि वो राह से न भटके और समाज का मुख्य पक्ष बने रहें। इस तरह, किशोर न्याय में संशोधन करते समय देखभाल और सुरक्षा मुख्य उद्देश्य होना चाहिये।

सन्दर्भ

- 1 किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000
- 2 मुकर्जी नाथ रवीन्द्र, अग्रवाल भगत, सामाजिक समस्याएँ, विवेक प्रकाशन, दिल्ली 2003
- 3 महाजन संजीव, सामाजिक समस्याएँ, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली 2010
- 4 वर्मा सिंह चंचल, बालकों की भावनाओं व व्यक्तित्व का अध्ययन, कल्पज पब्लिकेशन्स, दिल्ली 2011
- 5 आहूजा राम, सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशन्स, दिल्ली 2012
- 6 भटनागर बी०ए०, अधिगमकर्ता का विकास एवं शिक्षण—अधिगम प्रक्रिया, राधिका कम्प्यूटर्स, मेरठ, 2013
- 7 मिश्र कुमार ब्रज, मानस रोग असमान्य मनोविज्ञान, PHL Learning प्रा. लि., दिल्ली, 2015
- 8 चक्रवर्ती तरुण, अपने बच्चे को श्रेष्ठ कैसे बनाएं, डायमण्ड पोकेट बुक्स प्रा. लि., 2016
- 9 एनसीआरबी की रिपोर्ट 2016

समाचार पत्र

दैनिक जागरण, 30 नवम्बर, 2017